

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 2258 / 14

संस्थापन दिनांक : 22.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामदत्त बघेल पुत्र मुकुन्दी बघेल उम्र 30 साल  
निवासी ग्राम भौनुपरा (वैशपुरा) थाना एण्डोरी जिला  
भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 29.11.14 को 11:30 बजे सिहोंनिया भौनुपुरा रोड शराब के ठेके के पास भौनुपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.डी.0817 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति व बिना परव्यक्ति जोखित बीमा के चलाया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.14 को फरियादी बच्चूसिंह अ0सा01 व उसका बहनोई रामनरेश रनवीर के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.जे.-5776 से सिहोंनिया से ग्राम रानीपुरा जा रहे थे तब भौनुपुर के पास सामने से मोटरसाइलि क्रमांक एम.पी.-07-एम.डी.0817 हीरो होण्डा को आरोपी रामदत्त तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और फरियादी की मोटरसाइलि में टक्कर मार दी जिससे बच्चू अ0सा01 को चोटें आईं। तत्पश्चात फरियादी बच्चूसिंह अ0सा01 ने थाना एण्डोरी में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क0 106/14 पंजीबद्ध कर

मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.11.14 को 11:30 बजे सिहोंनिया भौनपुरा रोड शराब के ठेके के पास भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.डी.0817 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति व बिना परव्यक्ति जोखित बीमा के चलाया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. बच्चूसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि दो-ढाई वर्ष पूर्व प्रातः 11:30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-06-एम.जे.5776 से सिहोंनिया से अपने घर रानीपुरा जा रहा था जब वह सिहोंनिया भौनपुरा रोड शराब के ठेके के पास पहुंचा तब सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आईं जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने थाना एण्डोरी में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर नक्शाभौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.डी.0817 को आरोपी रामदत्त ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी ने ही दुर्घटना कारित की है और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-3 व रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः बच्चूसिंह अ0सा01 महत्वपूर्ण साक्षी है और उसी के विरुद्ध अभियोजित घटना घटित हुई है। परन्तु बच्चू अ0सा01 द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा ही वाहन को उपेक्षापूर्वक परिचालित किया गया इस सुझाव से भी इंकार किया गया है। अतः घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन परिचालित किया जाना साबित नहीं होता है। अतः फरियादी व आहत द्वारा ही प्रत्यक्ष साक्षी होते हुए अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 29.11.14 को 11:30 बजे सिहोंनिया भौनपुरा रोड शराब के ठेके के पास भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम. पी.-07-एम.डी.0817 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना

प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति व बिना परव्यक्ति जोखित बीमा के चलाया।

7. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.डी.0817 आवेदक महेशपाल की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)